ORDER SHEET

THE COURT

279 of 2017 B.A

Date of
order or
Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of Parties or Pleaders where necessary

02 / 08 / 2017 03:00 से 03:15 पी.एम. आरोपी / आवेदक शकील खां द्वारा श्री अखिलेश समाधिया अधिवक्ता ।

राज्य द्वारा श्री भगवानिसंह अपर लोक अभियोजक। अभियुक्त शकील खां की ओर से श्री अखिलेश समाधिया अधिवक्ता ने जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—439 द.प्र.सं. का प्रस्तुत किया गया है।

जमानत आवेदन के साथ आवेदक शकील के पिता का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है, शपथपत्र एवं आवेदन में यह बताया गया है कि आवेदक का प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—439 द.प्र.सं० है, इस आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई आवेदन इस न्यायालय समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है।

अभियुक्त से संबंधित विशेष सत्र प्रकरण कमांक—03 / 2017 डकैती पुलिस थाना गोहद वि० शकील खां एवं अन्य निकाला गया ।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं को थाना गोहद के अपराध कमांक—376 / 2016 धारा—394, 459 भादवि० सहपठित धारा—11, 13 डकैती अधिनियम में आरोपी / आवेदक शकील खां की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं. पर सुना गया ।

आरोपी/आवेदक शकील खां की ओर से व्यक्त किया गया है कि पुलिस ने उसको झूंठा फंसाया है, उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया । उसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई संबधं नहीं है। सहअभियुक्तगण प्रीति, नाजरीन, शौकत व शबनम जमानत पर स्वत्रंत हैं, उसका मामला भी उक्त आरोपियों से भिन्न नहीं है ऐसी स्थिति में उसे भी जमानत का लाभ दिया जावे एवं वह जमानत की शर्तों का पालन करेगा, साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा, उसे उचित प्रतिभूति पर छोडने का निवेदन किया।

अभियोजन की ओर से व्यक्त किया गया है कि आरोपी/आवेदक शकील खां द्वारा बताया गया कारण संतोषप्रद नहीं है। मामला डकैती अधिनियम से संबंधित होकर गंभीर प्रकृति का है, आरोपी/आवेदक शकील खां को जमानत पर रिहा किया गया तो वह साक्ष्य को प्रभावित करेगा, अतः उसका जमानत आवेदनपत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

उभयपक्ष को सूने जाने एवं प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि फरियादी रामकुमार गुप्ता ने थाना पर देहाती नालिसी इस आशय की लेख करायी कि-''दि0-24/12/2016 को शाम करीब 04:30 बजे गोहद से अपने बच्चों के पास ग्वालियर चला गया था उसके माता पिता गोहद के घर में रहते हैं, सुबह करीब 7 बजे उसके घर के सामने रहने वाले गिर्राज गुप्ता ने मोबाइल फोन से बताया कि माताजी, पिताजी के सिर में काफी चोट होकर घायल हैं तथा घर का सामान बिखरा पडा है, जल्दी आ जाओ तो फरियादी तुरंत ही ग्वालियर से घर पर आया ओर घर का सामान देखा तो सब बिखरा पडा था, सोने चांदी के कीमती जेवरात तथा जगदी गायब थे, माताजी, पिताजी घायल होने से लोगों ने अस्पताल पहुंचा दिये थे, जहां रैफर होकर इलाज के लिए ग्वालियर चले गये हैं, फरियादी ने सामान चैक किया तो उसकी जानकारी अनुसार घर में रखे सोने के सीतारानी हार, तीन मंगलसूत्र, दो सोने की जंजीर, चार सोने की अंगुिठयां, 12 हाथ का कंगन एक, तथा नीचे ऑफिस एवं दुकान की नगदी करीब डेढ लाख रूपये व उसकी मां की अलमारी में रखी नगदी करीब पचास हजार रूपये रेजगारी करीब 8—10 हजार रूपये तथा घर में रखे चांदी के जेवरात तोडियां, बिछिया आदि करीब एक किलो बजनी, चोरी गये सोने जेवरात का बजन करीब 45 तोला है, चोरी गये सामान की कीमत करीब 15 लाख रूपये है, उसके पिताजी ने बताया कि बदमाशों ने उनकी मारपीट की थी, मजबूत कद काठी के तथा चेहरे पर कपडा बंधा था. स्थानीय भाषा बोल रहे थे।

उक्त आशय की देहाती नालिसी अपराध क.—0/2016 धारा—394, 459 भा.दं.वि० व 11, 13 डकैती अधिनियम के तहत निरीक्षक आशाराम गौतम ने लेख की, जिसपर से थाना गोहद के अपराध कमांक—376/2016 धारा—394, 459 भा.दं.वि० व 11, 13 डकैती अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गयी।

विवेचना के दौरान आरोपी/आवेदक शकील खां के मेमोरेण्डम मुताबिक उसने लूटा सामान अपनी मां आरोपिया हज्जोबाई, अपनी पत्नी शबनम एवं अपनी प्रेमिका श्रीमती प्रीति बघेल को दे देना बताया था, जिसपर से आरोपी/आवेदक शकील खां से लूटे गये जेवरात जब्त हुए हैं। जहां तक आरोपी/आवेदक शकील खां को झूंटा फंसाये जाने का आधार लिया गया है, वह गुणदोषों पर निराकरण के समय देखा जाना है, वर्तमान स्टेज पर इस संबंध में निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है एवं संकलित साक्ष्य के आधार पर आरोपी/आवेदक शकील खां के विरुद्ध धारा 11/13 एम.पी.डी.पी.के. एक्ट का अपराध होने से धारा 5 (2) का वर्जन होने से इस स्टेज पर आरोपी/आवेदक शकील खां को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आरोपी/आवेदक आरोपी/आवेदक शकील खां की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा.फी. वाद

